

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 48/2023 अपील सू.प्र.

**उनवान**

श्री नवरतन मल जैन पुत्र शंकर लाल  
निवासी भीलवाड़ा

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं  
तहसीलदार सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थीगण

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

**निर्णय**

दिनांक : 19-12-2023

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 16.08.2023 को प्राप्त हुई, जिसमें अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/- रुपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या 61एफ 877249 के साथ एक आवेदन पत्र दिनांक 05.07.2023 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा को प्रेषित किया किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 21.08.2023 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सहाड़ा जिला भीलवाड़ा द्वारा कार्यालय के पत्रांक 346 दिनांक 15.09.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं :-

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गयी सूचना तैयार कर कार्यालय तहसीलदार, सहाड़ा के पत्रांक/आरटीआई/23/604 दिनांक 03.08.2023 से जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलार्थी/प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गई है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 19-12-2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।



(आशीष मोदी)  
जिला कलक्टर एवं  
प्रथम अपीलट अधिकारी  
भीलवाड़ा  
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा